न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 87 /2022

उनवान

1.धनराज पिता घीसा कुमावत निवासी मालखेडा
2.प्रधान पिता घीसा कुमावत मालखेडा
3.रामकिशन पिता कुमावत निवासी मालखेडा
4.लालीदेवी पत्नि घीसा कुमावत निवासी मालखेडा

– प्रार्थीगण

बनाम

1.कनीराम पिता देवी मीणा निवासी डाबलाचांदा
2.रामजस पिता देवी मीणा निवासी डाबलाचांदा
3.जगदीश पिता मूला कुमावत निवासी मालखेडा
4.जयकिशन पिता मूला कुमावत निवासी मालखेडा
5.नाथू पिता मूला कुमावत निवासी मालखेडा
6.लक्ष्मण पिता लखमा मीणा निवासी डाबलाचांदा
7.सीयाराम पिता लखमा मीणा निवासी डाबलाचांदा
8.गीसू पिता लखमा मीणा निवासी डाबलाचांदा
9.सत्यनारायण पिता उगमा कुमावत निवासी मालखेडा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री रामप्रसाद जाट
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 20.062022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **मालखेडा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1247 /203 रकबा** 0.62 **है**0,1249 **/204 रकबा** 0.21 **है0** कुल किता **2** रकबा **0.83** हैक्टेयर के खातेदार प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7 व 9** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 8** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम मालखेडा संवत 2075 से 2078** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्राथीगणो **के खातेदारी** में दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **मालखेडा** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् किता **2 रकबा 0.83 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500 रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **20.062022** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा